डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म.प्र.
वि.पू.भु. भोपाल-02-06.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 437] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 सितम्बर 2006—भाद्र 23, शक 1928

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2006

क्र. एफ-22-1-2003-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 88 की उपधारा 6 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30 मई, 2006 के पृष्ठ क्रमांक 258 पर छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश राज्यों के मध्य पारस्परिक परिवहन करार का प्रारंभिक प्रकाशन कर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये गये थे.

आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 30 जून 2006 नियत थी. नियत तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई. आपत्तियों पर सुनवाई हेतु दिनांक 5 जुलाई 2006 निर्धारित की गई थी. जिस समय केवल एक अभ्यावेदनकर्ता की तरफ से आपत्ति प्राप्त हुई, जो समयबाधित थी. अतः इसे निरस्त किया गया.

अतः अब राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य पारस्परिक परिवहन करार का अंतिम प्रकाशन निम्नानुसार किया जाता है:—

मध्यप्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के मध्य पारस्परिक परिवहन करार

यह करार आज दिनांक 26 मई 2006 तद्नुसार शक संवत 1928 को मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे ''मध्यप्रदेश सरकार'' कहा गया है और जिसमें पदासीन उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) प्रथम तथा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जिन्हें आगे ''छत्तीसगढ़ सरकार'' कहा गया है और जिसमें उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है.

चूंकि, प्रदेश में त्वरित आर्थिक विकास तथा मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की समीपस्थता को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन समझा गया कि उक्त दोनों राज्यों के बीच यात्रियों और माल के लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाये और उनके

प्रचालन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित किया जावे, इसलिए उक्त दोनों पक्ष परिस्थितियों एवं वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप एक करार करने के लिये सहमत हैं.

अतएव, अब उक्त पक्षों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है:—

1. यह पारस्परिक परिवहन करार दिनांक 26 मई 2006 से प्रवृत्त होगा तथा उस समय तक विधिमान्य रहेगा, जब तक कि दोनों राज्यों के बीच नया करार या उसका पुनर्विलोकन न हो जाये या दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को छः माह की सूचना देकर विद्यमान करार को विखण्डित न कर दिया जाये.

2. **माल यान के अनुज्ञा-पत्र.**—(एक) **मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन मालयान के अनुज्ञा-पत्र :—**

अन्य राज्य के सम्पूर्ण भाग के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा जारी मालयानों की संख्या पर निर्बन्धन के बिना माल यान के लिए अनुज्ञा-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर, संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा एकल बिन्दु कराधान के आधार पर किया जाएगा. प्रतिहस्ताक्षर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किये जाएंगे:—

(क) यदि करारकर्ता राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं कराया गया है तो एक बिन्दु कर का लाभ नहीं मिलेगा.

(ख) माल यान अनुज्ञा-पत्र, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 में विनिर्दिष्ट और संबंधित राज्य में प्रवृत्त राज्य मोटरयान नियमावली के अधीन ऐसी शर्तों, जिन्हें संबंधित परिवहन प्राधिकारी अधिरोपित करने के लिए उचित समझे, के अध्यधीन होंगे.

(ग) यह कि प्रतिहस्ताक्षर द्वारा आच्छादित यान का उपयोग व्यतिकारी राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं पर माल लादने और उतारने के लिए नहीं किया जाएगा अर्थात् ऐसे यान, व्यतिकारी राज्य के क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से परिवहन कारोबार किये जाने से प्रतिषिद्ध होंगे.

(दो) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन मालयान (अस्थायी अनुज्ञा-पत्र) :—

एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना और उनकी संख्या पर निर्बन्धन के बिना अनधिक तीस दिन की अवधि के लिए विधिमान्य अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी किये जा सकते हैं. इन अनुज्ञा-पत्रों द्वारा आच्छादित यानों पर, अन्य राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य माल नहीं लादा और उतारा जायेगा. उन फेरों की संख्या पर कोई निर्बन्धन नहीं होगा जो अनुज्ञा-पत्र की विद्यमानता के दौरान यानों द्वारा निष्पादित किये जा सकते हैं. यह भी करार पाया कि प्रचालक किन्हीं अन्य शर्तों का जिन्हें परिवहन प्राधिकारी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79(2) के अधीन अधिरोपित करना उचित समझे, पालन करेगा.

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87(1)(घ) के अधीन स्थायी अनुज्ञा-पत्रों के नवीनीकरण के लंबित रहने के दौरान जारी किये गये अनुज्ञा-पत्रों के आधार पर पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर चलाये जा रहे मालयानों पर एक बिन्दु कर आरोपित होगा तथा शेष अस्थायी अनुज्ञा-पत्र द्विबिन्दु कर के आधार पर जारी किये जायेंगे.

3. **ठेका गाड़ी ओमनी बस.**—(एक) **मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 74 के अधीन मोटर कैब अनुज्ञा-पत्र.**—

एकल बिन्दु कर आधार पर अन्य राज्य के सम्पूर्ण भाग के लिए प्रत्येक राज्य से संबंधित मोटर कैब ठेका गाड़ियों की संख्या पर निर्बन्धन के बिना मोटर कैब गाड़ियों के अनुज्ञा-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर दूसरे राज्य के परिवहन अधिकारी द्वारा किया जायेगा. प्रतिहस्ताक्षर इन शर्तों के अध्यधीन होंगे कि यान दूसरे राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य किसी यात्री को नहीं चढ़ाये या उतारेगा. एक बिन्दु कर की सुविधा प्रतिहस्ताक्षर होकर चलायी जा रही यानों को ही प्राप्त होगी.

(एक) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 (1) के अधीन अस्थायी ठेका गाड़ी परमिट:—

अनुच्छेद 9 में उपबन्ध के अधीन आवश्यकतानुसार एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा पारस्परिक करारकर्ता राज्य में विनिर्दिष्ट टर्मिनलों को जोड़ने वाले विनिर्दिष्ट मार्गों के लिए उस राज्य में द्विबिन्दु कर आधार पर प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना ठेका गाड़ी (ओमनी बस) के लिये अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी किए जा सकेंगे. ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र पर अन्य राज्यों के देय कर का संदाय इस करार के अनुच्छेद 8 में विहित रीति से किया जायेगा तथापि यदि किसी कारण से ऐसे राज्य द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र की वैधता अन्य राज्य के क्षेत्र में समाप्त हो जाती है तो ऐसे राज्य का परिवहन प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता में वह यान हो, आवश्यक फीस और करों को प्राप्त कर एक नया अनुज्ञा-पत्र जारी कर सकेगा. ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:—

(क) ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र पारस्परिक करारकर्ता राज्य में पन्द्रह दिन से अनधिक कालावधि के लिए विधिमान्य होंगे.

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट की गई बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा और न ही खड़े रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात किया जाएगा.

(ग) ठेका गाड़ी एक ही पक्ष द्वारा किराए पर ली जाएगी एकल वापसी यात्रा के लिए उपयोग की जाएगी.

(घ) ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र में बाहर जाने की तारीख तथा वापसी यात्रा की तारीख स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी. यदि किसी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र पर ठेका गाड़ी को लगाने वाला कतिपय पक्ष अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने के पश्चात् वापसी यात्रा की तारीख बदलवाना चाहता है तो वह ऐसे परिवहन प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता में उस समय ठेका गाड़ी हो, इस बाबत् लिखित रूप से अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करेगा.

(दो) ठेका गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र [मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अधीन विशेष अनुज्ञा-पत्र]:—

ये अनुज्ञा-पत्र, पर्यटकों की आवश्यकता के अनुसार दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना प्रत्येक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा एकल बिन्दु कर आधार पर जारी किये जा सकते हैं. अनुज्ञा-पत्रों में प्रारम्भ और वापसी यात्रा को दर्शाते हुए यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम अन्तर्विष्ट होगा. अनुज्ञा-पत्र में वह क्रम जिसमें ऐसे प्रत्येक स्थान पर आगमन और प्रस्थान के समुचित दिनांक के उपदर्शन सहित विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया जायेगा और मोटर कैब से भिन्न गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों की, अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित सूची भी अन्तर्विष्ट होगा.

4. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अधीन मंजिली गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र.—

(एक) छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच अन्तर्राज्यिक मार्गों पर मंजिली गाड़ी चलाने के संबंध में पारस्परिक करार, अनुलग्नक "क" के अनुसार होगा. प्रतिबंध यह होगा कि यदि संलग्नक "क" का कोई मार्ग मध्यप्रदेश राज्य द्वारा अधिसूचित है व राज्य की योजना प्रभावी है, तब मध्यप्रदेश द्वारा योजना के प्रावधान के अनुरूप ही परमिट जारी किया जावेगा.

(दो) परन्तु यह भी कि मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम की समाप्ति के पश्चात् निगम (उपक्रम) के स्थान पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा नाम-निर्दिष्ट संचालकों को इन मार्गों पर पारस्परिक करार में निर्धारित फेरों व अनुज्ञाओं अनुसार चल सकेंगे.

(तीन) परन्तु यह भी कि परिशिष्ट "क" में उल्लिखित कोई मार्ग की योजना से प्रभावशील है और यदि उसे उपान्तरण कर निजी संचालकों को छूट दी जाती है तो ऐसे मार्गों पर निजी संचालकों को संचालन की पात्रता होगी.

(चार) परन्तु यह और कि परिशिष्ट "क" में उल्लिखित यदि किसी मार्ग को किसी राज्य सरकार द्वारा संबंधित राज्य के परिवहन निगम को अनन्य संचालन हेतु अधिसूचित किया जाता है तो वह मार्ग निजी प्रचालकों के लिए स्वतः प्रतिबंधित हो जाएगा.

(पांच) प्रत्येक अन्तर्राज्यिक मार्ग पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित फेरों की संख्या यथासंभव प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले मार्ग की लम्बाई के अनुसार नियत की जायेगी. इस करार के प्रयोजन के लिए फेरा का तात्पर्य दैनिक एकल फेरा से है. अनुलग्नक "क" में उल्लिखित मार्गों का तात्पर्य उनमें उल्लिखित स्थानों से होते हुए दोनों राज्यों में पड़ने वाले दो टरमिनलों को जोड़ने वाले सबसे कम दूरी के सीधे मार्ग से है. उक्त अनुलग्नक में प्रदर्शित मार्ग के नाम या उसकी लम्बाई

में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को व्यतिकारी राज्यों के मध्य तत्परता से पत्र-व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जाएगा और उसे करार के किसी उपान्तर के रूप में नहीं समझा जायेगा.

(छः) अनुलग्नक "क" में उल्लिखित मार्गों को समय सारिणी, दोनों राज्यों के अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा नियत की जाएगी.

(सात) किसी राज्य में स्थित भाग के लिए यात्री किराया, अपने-अपने राज्य द्वारा नियत किये गये दरों के अनुसार प्रभारित किये जायेंगे.

(आठ) पारस्परिक करार के अधीन आने वाले दोनों राज्यों की मंजिली गाड़ियों के अनुज्ञा-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर, एकल बिन्दु कराधान आधार पर किया जायेगा. एकल बिन्दु कर की सुविधा प्रतिहस्ताक्षर होकर चलायी जा रही यानों को ही अनुमन्य होगा.

(नौ) यदि किसी कारण से अनुज्ञा-पत्र के, उसकी समाप्ति के पूर्व, नवीनीकरण के लिए किसी आवेदन-पत्र पर विनिश्चय करना सम्भव न हो तो व्यतिकारी राज्य को सूचित करने के अधीन चार माह तक की अवधि के लिये गृह राज्य मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 (1) (घ) के अधीन अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी कर सकता है और नीचे दिये गये परन्तुक के अध्यधीन ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों पर व्यतिकारी राज्य का प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा और मोटरयान को एकल बिन्दु कराधान आधार पर चलाने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा:

परन्तु अनुज्ञा-पत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 81 (2) के अधीन नवीनीकरण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय के भीतर संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो.

(दस) यदि पारस्परिक यातायात समझौते के अन्तर्गत किसी मार्ग पर परमिट प्राप्त करने के उपरान्त किसी राज्य के निगम अथवा निगम से भिन्न् संचालक द्वारा किसी दूसरे राज्य में संचालन नहीं किया जा रहा है, तो जिस अवधि में संचालन नहीं हुआ है, उस अवधि का कर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य में केवल उसी दशा में देय नहीं होगा जब प्रतिहस्ताक्षरकर्ता राज्य के कराधान अधिनियम में विहित प्रावधानानुसार अनुज्ञापत्र/प्रतिहस्ताक्षर-पत्र समर्पित कर दिया गया हो.

(ग्यारह) नये मार्गों पर संचालन की व्यवस्था करने तथा विद्यमान मार्गों पर फेरों की संख्या में वृद्धि करारकर्ता राज्यों के सचिव/प्रमुख सचिवों द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरी करने के पश्चात् की जा सकेगी तथा उनके द्वारा की गयी कार्यवाही को इस करार का अंग माना जावेगा.

(बारह) प्रारम्भिक समय सारिणी का निर्धारण अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा बिल्कुल अनन्तिम आधार पर किया जावेगा जो अधिकतम चार मास की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा और सेवा का तत्काल प्रचालन करने के लिये ऐसा प्रतिहस्ताक्षर किया जावेगा. इस कालावधि के दौरान प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञा-पत्र मंजूरी करने वाले प्राधिकारी के परामर्श से समय-सारिणी को अन्तिम रूप देगा.

(तेरह) दोनों राज्यों के बसों का संचालन बिन्दु एक ही होगा अर्थात् मध्यप्रदेश राज्य की बसों का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य के बस स्टैण्डों तथा छत्तीसगढ़ राज्य की बसों का संचालन यथास्थित मध्यप्रदेश राज्य के बस स्टैण्डों से होगा.

(चौदह) स्थायी/अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी होने/नवीनीकृत होने करने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर परमिटधारी द्वारा संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार को प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन करना होगा अन्यथा स्वीकृति अनुज्ञा-पत्र निरस्त किया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण.—(क) किसी मोटरयान के संबंध में शब्द एकल **बिन्दु मोटरयान कर या शब्द एकल बिन्दु कर आधार** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत प्रतिहस्ताक्षरित श्रेणी के लिये निर्धारित दर.

(ख) किसी मोटरयान के संबंध में शब्द "द्विबिन्दु कर आधार" से अभिप्रेत है दोनों राज्यों के कर/मोटरयान कर/अति. कर को सम्मिलित करते हुए सभी करों के संदाय का दायित्व.

5. मुक्त जोन.—(क) प्रत्येक राज्य के सीमा बिन्दुओं पर या उनके निकट पड़ने वाले स्थानों पर यात्रियों और माल यातायात सुलभ बनाने की सुविधा के लिये यह आवश्यक और समीचीन समझा गया है कि दोनों राज्यों की सीमा के कतिपय बिन्दुओं पर मुक्त जोन के सृजन की व्यवस्था की जाये तथा मुक्त जोन सुविधाओं का लाभ उठाने वाले यानों के लिये, पारस्परिक करारकर्ता राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित नहीं होगा.

(ख) उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर यह करार किया गया कि अन्तर्राज्यीय मार्गों पर पड़ने वाले प्रत्येक राज्य के सीमा बिन्दुओं पर उनके निकट स्थित निम्नलिखित बिन्दुओं/क्षेत्रों/मार्गों, उनके सामने वर्णित शर्तों पर मुक्त जोन के रूप में घोषित किया जाता है:—

(1) अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों या अस्थाई अनुपत्रों में समाविष्ट मालयानों या मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी एवं शिक्षा संस्था की बसों के लिए :—

(एक)	मध्यप्रदेश में अमरकंटक धार्मिक स्थल, उसके चारों ओर 15 कि. मी. अर्ध व्यास के साथ.	कबीरचबूतरा की ओर से आने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के उक्त मोटरयानों के लिए.
(दो)	मध्यप्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय जीव उद्यान एवं उसके चारों ओर 20 कि. मी. अर्ध व्यास के साथ.	चिल्पी, वृष्कार की ओर से आने वाले छत्तीसगढ़ से उक्त मोटरयानों के लिये.
(ग)	छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ.	लॉंजी अथवा सालेटेकरी की ओर से आने वाले छत्तीसगढ़ में उक्त मोटरयानों के लिये.
(तीन)	छत्तीसगढ़ में कबीरचबूतरा	अमरकंटक अथवा डिंडोरी की ओर से आने वाले मध्यप्रदेश में उक्त मोटरयानों के लिये.

(ग) सुविधाजनक तथा पर्याप्त परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से और उपरोक्त करार किये गये मुक्त होने का द्रुत विकास करने के लिये प्रत्येक राज्य द्वारा आवश्यकतानुसार संबंधित प्रवर्गों के अनुज्ञा-पत्र अपने-अपने मुक्त जोन में सेवाओं के अनन्यतः प्रचालन के लिये फेरों की संख्या पर किसी निर्बन्धन के बिना और पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकार के प्रतिहस्ताक्षर के बिना जारी किये जा सकेंगे. अन्य राज्य में मुक्त जोन सुविधा का लाभ उठा रहे प्रत्येक राज्य के मोटरयानों को उपरोक्त खण्ड के उपखण्ड (घ) में वर्णित सीमा तक पारस्परिक करारकर्ता राज्य के करों से छूट प्राप्त होगी, ऐसे यानों के अनुज्ञापत्र पर उसके मुख्य पृष्ठ पर जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से यह पृष्ठांकित किया जायेगा कि यान को पारस्परिक करार के निर्बंधन के अधीन अन्य राज्य के संबंधित मुक्त जोन में प्रचालन के लिए अनुज्ञात किया गया है.

(घ) हस्ताक्षरकर्ता दोनों राज्य, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) के साथ पठित धारा 96 (2) (दस) के अधीन यह उपलब्ध करने के लिए कि पारस्परिक करारकर्ता राज्य में इस प्रकार मंजूर किए गये स्थायी अनुज्ञाओं या अस्थायी अनुज्ञा-पत्र इस खण्ड में किए गये करार के अनुसार गृह राज्य के मुक्त जोन में प्रतिहस्ताक्षर के बिना विधिमान्य होंगे, उपर्युक्त नियम बनायेंगे.

6. कॉरीडार मार्ग.—मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ मार्ग एक राज्य में प्रारम्भ और समाप्त होने वाले बिन्दुओं के बीच अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र के किसी छोटे भाग में से होकर जाते हैं. अतएव राज्य के मोटरयानों को, जो ऐसे मार्गों पर चलाये जाने के लिए अनुज्ञात हैं, सम्पूर्ण यात्रा पूरी करने के लिए दूसरे राज्य की उस छोटी सी पट्टी से होकर जाना पड़ेगा.

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) के अधीन यह उपबन्धित है कि जहां किसी मार्ग के प्रारम्भ होने वाले बिन्दु और समाप्त होने वाले दोनों बिन्दु एक ही राज्य में स्थित हों किन्तु ऐसे मार्ग का भाग किसी दूसरे राज्य में पड़ता हो और ऐसे मार्ग की लैम्बाई सोलह किलोमीटर से अधिक न हो, वहां अनुज्ञा-पत्र मार्ग के उस भाग के संबंध में जो उस अन्य राज्य में है, अन्य राज्य में इस बात के होते हुए भी कि ऐसें अनुज्ञा-पत्र पर उस दूसरे राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया गया है विधिमान्य होगा. उस खण्ड के प्रयोजनों के लिए सोलह किलोमीटर के अनधिक के इस छोटे से भाग को मुक्त कॉरीडोर के रूप में कहा गया है.

विधि के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए मुक्त कॉरीडोर सुविधा का लाभ उठाने वाले ऐसे यानों के अनुज्ञा-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अनुज्ञा पत्रों को मोटरयान कर के प्रयोजनों के लिए उन अनुज्ञा पत्रों के समान समझा जाएगा जिन्हें सम्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है और वे एकल बिन्दु कर के आधार पर अनुज्ञात होंगे. ऐसे मार्गों को समझौते में सम्मिलित हुआ माना जावेगा परन्तु ऐसे मार्गों पर परमिट देने से पूर्व पारस्परिक करारकर्ता राज्य से मार्ग के औचित्य के संबंध में टिप्पणी प्राप्त की जावेगी जिसे परस्पर करारकर्ता राज्य द्वारा अस्थायी परमिट के निस्तारण के संबंध में 20 दिवस तथा स्थायी परमिट के संबंध में 45 दिवस के अन्दर अपनी टिप्पणी देनी होगी और यदि इस अवधि में कोई टिप्पणी नहीं दी जाती है तो यह माना जावेगा कि परस्पर करारकर्ता राज्य उस मार्ग के औचित्य के संबंध में सहमत है. ऐसे मार्गों पर जारी परमिटों की सूचना करारकर्ता राज्य एक दूसरे को आदान-प्रदान करेंगे. यद्यपि जहां कॉरीडोर की दूरी सोलह किलोमीटर से अधिक हो वहां ऐसे अनुज्ञा-पत्र पर करार के अनुसार ही प्रतिहस्ताक्षरित किए जायेंगे.

यह और भी करार पाया गया कि जब सभी पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा अन्य राज्य के मुक्त कारीडोर में वाहन प्रचालन के लिए स्वीकृत किये जाते हैं तो ऐसे अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से यह पृष्ठांकित किया जाएगा कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन अनुज्ञा-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित नहीं हैं. जारी करने वाला प्राधिकारी अन्य राज्य के उस प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी को, जिसके क्षेत्र में ऐसा मुक्त कारीडार आता है, ऐसे अनुज्ञा-पत्रों के विवरण प्रख्यापित करेगा जिससे कि उस राज्य के प्राधिकारी अनुज्ञा-पत्र धारकों से यथास्थिति यात्रीकर/मालकर/मोटरयान कर आदि वसूल करने में समर्थ रहे. ऐसे मुक्त कारीडोर के संबंध में पारस्परिक करारकर्ता राज्य के करों की वसूली करने में अनुज्ञा-पत्र स्वीकृति करने वाला परिवहन प्राधिकारी समस्त सम्भवरीति में सहायता भी करेगा.

7 करों के संदाय का ढंग.—(क) अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र या विशेष अनुज्ञा-पत्र को जारी करने के पूर्व पारस्परिक करारकर्ता राज्य के समस्त कर अग्रिम रूप से भारतीय स्टेट बैंक के नाम पर लिखे गये डिमाण्ड ड्राफ्ट कर संग्रह केन्द्रों द्वारा संदत्त कर दिये गये हैं यद्यपि दोनों में कोई भी राज्य यथा स्थिति चेक पोस्टों पर अपने करों की वसूली की अपेक्षा कर सकेगा.

(ख) प्रत्येक डिमाण्ड ड्राफ्ट का क्रमांक और रकम जिसके माध्यम से प्रचालक द्वारा अन्य राज्यों के करों को प्रेषित किया जा चुका है, अस्थायी अनुज्ञा-पत्र/विशेष अनुज्ञा-पत्र के मुख्य पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित की जाएगी.

(ग) समस्त अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों तथा विशेष अनुज्ञा-पत्रों की प्रतियां भारतीय स्टेट बैंक के नाम लिये गये डिमाण्ड ड्राफ्टों अन्य सुसंगत जानकारी के साथ निम्नलिखित निदर्शन-पत्र (प्रोफार्मा) में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को तुरन्त भेजी जायेगी और छत्तीसगढ़ की दशा में ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों/विशेष अनुज्ञा-पत्रों की प्रतियां मासिक अन्तराल पर डिमाण्ड ड्राफ्टों के साथ परिवहन आयुक्त रायपुर छत्तीसगढ़ को भेजी जायेगी.

अनुक्रमांक	यान के स्वामी का नाम तथा पता	अनुज्ञा-पत्र क्रमांक तथा यान क्रमांक	यान का सकल यान भार तथा यान की क्षमता बैठक	अनुज्ञा-पत्र की वैद्यता तारीख		बैंक ड्राफ्ट की संख्या और धनराशि
				से	तक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

8. अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए सामान्य सहमति.—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (7) उपबंधित करती है कि धारा 88 (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी एक प्रदेश का प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी धारा 87 के अधीन अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जो दूसरे राज्य में विधिमान्य होगा उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी की सहमति से साधारणतः या विशिष्ट अवसर के लिये जारी कर सकेगा.

विधि के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए यह करार पाया गया है कि दोनों राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकारी इस करार के खण्ड 3, 5 तथा 7 के अनुसरण में आवश्यकतानुसार मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना मालयान और ठेका गाड़ियों (ओम्नी बसों और मोटर कैबों) के लिए अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (7) के अधीन सामान्य सहमति प्रदान करते हैं.

9. सामान्य.—(एक) व्यतिकारी राज्य, इस करार के अनुसार अन्तर्राज्यिक मार्गों पर चल रहे यानों के संबंध में दोनों राज्यों में से प्रत्येक को सुसंगत नियमावली के अधीन जारी कर, टोकनों, चालक और परिचालक अनुज्ञप्ति परिवहन यान प्राधिकार और स्वस्थता प्रमाण-पत्र को मान्यता प्रदान करेंगे.

(दो) यह करार ऐसे समय तक विधिमान्य रहेगा जब तक दोनों राज्यों के बीच कोई नया करार नहीं हो जाता है. तथापि यह करार किसी भी राज्य द्वारा छः माह की नोटिस जारी करने के पश्चात् विखण्डित किया जा सकता है. यह करार प्रत्येक वर्ष या दोनों में से किसी भी राज्य के परिवहन प्राधिकारी के अनुरोध पर पुनरीक्षण के लिए खुला रहेगा.

(तीन) बकाया वसूली-दोनों राज्यों द्वारा जारी ऐसी अनुज्ञायें जिसका प्रतिहस्ताक्षर परस्पर राज्यों द्वारा किया गया है और यदि ऐसे अनुज्ञाधारी अन्य राज्य के करों का नियमानुसार भुगतान न करने पर बकायादार हो जाते हैं एवं वाहन का संचालन बन्द कर देते हैं, ऐसे बकायादारों से कर की वसूली में दोनों राज्य एक दूसरे राज्यों के बकाया करों की वसूली में सहयोग करेंगे.

(चार) पारस्परिक करार के अंतिम होने के पश्चात् नवनिर्मित उद्भूत होने वाले मार्गों तथा परिवहन की बढती आवश्यकता को दृष्टिगत ऐसे मार्गों को समझौते में सम्मिलित करने के संबंध में दोनों राज्यों के प्रमुख सचिव आपसी सहमति से निर्णय ले सकेंगे तथा इस प्रकार लिया गया निर्णय इस समझौते का अंश समझा जावेगा.

(पांच) स्थाई तथा अस्थाई यात्री वाहनों की अनुज्ञा के संबंध में दोनों राज्यों द्वारा यह भी करार पाया गया कि परस्पर जारी किये जाने वाले अनुज्ञाओं के मार्ग की कुल दूरी प्रथम से द्वितीय बिन्दु तक 100 किलोमीटर से ज्यादा हो तो ऐसी अनुज्ञा 35+2 से अधिक की बैठक क्षमता वाली यात्री वाहनों को ही स्वीकृत किये जायेंगे, ताकि यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा का ध्यान रखा जा सके. जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने प्रथम ऊपर उल्लिखित दिनांक को इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं.

हस्ता/-	हस्ता/-
(एम. के. राय)	(वाय के. एस. ठाकुर)
प्रमुख सचिव,	विशेष सचिव,
परिवहन विभाग,	परिवहन विभाग,
मध्यप्रदेश सरकार.	छत्तीसगढ़ सरकार.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से
साक्षी	साक्षी
हस्ता/-	हस्ता/-
(एन. के. त्रिपाठी)	(बी. एल. ध्रुव)
परिवहन आयुक्त	सहपरिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश.	छत्तीसगढ़.

परिशिष्ट "अ"

क्र.	मार्ग	दूरी कि. मी. में			प्रस्तावित फेरों की संख्या		अनुज्ञा-पत्रों की निर्धारित संख्या		कुल कि.मी. संचालित		टिप्पणी
		छत्तीसगढ़	मध्यप्रदेश	कुल कि. मी.	छत्तीसगढ़ राज्य के लिये	मध्यप्रदेश राज्य के लिये	छत्तीसगढ़ राज्य के लिये	मध्यप्रदेश राज्य के लिये	छत्तीसगढ़ द्वारा मध्यप्रदेश में संचालन	मध्यप्रदेश द्वारा छत्तीसगढ़ में संचालन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	दुर्ग से रजेगांव व्हाया धमधा खैरागढ़, लांजी.	88	72	160	02	02	01	01	144	176	
2	सिवनी से रायपुर व्हाया कटनी, बारासिवनी, बालाघाट, बैहर.	128	215	343	04	04	04	04	860	512	
3	रायपुर से शहडोल व्हाया कोटा, कैंवची अमरकंटक.	235	110	345	04	02	04	02	440	470	
4	बिलासपुर से जबलपुर व्हाया मुंगेली पंडरिया, चिल्फी, मंडला.	113	228	341	02	04	02	04	456	452	
5	कोरबा से जबलपुर व्हाया चांबा, बिलासपुर, मुंगेली, पंडरिया, चिल्फी, मंडला.	235	228	463	02	02	02	02	456	470	
6	पेण्ड्रा रोड, (गोरिल्ला से डिंडोरी व्हाया कबीर, चबूतरा, कैंटचो.	36	93	129	02	04	01	02	186	144	
7	मनेन्द्रगढ़ से डिंडोरी व्हाया राजनगर, अनूपपुर, पाड़ाराई.	10	153	163	02	04	01	02	306	40	
8	रीवा से मनेन्द्रगढ़ व्हाया गोविन्दगढ़, ब्यहवारी, शहडोर.	10	295	305	02	02	02	02	590	20	
9	रीवा से अंबिकापुर व्हाया मनेन्द्रगढ़, गोविन्दगढ़, ब्यौहारी, शहडोर.	123	295	418	02	02	02	02	530	246	
10	रायगढ़ से रीवा व्हाया पत्थलगांव, अम्बिकापुर, मनेन्द्रगढ़, गोविन्दगढ़, ब्यौहारी, शहडोर.	336	295	631	02	02	02	02	590	672	
11.	मंडला से कवर्धा	60	95	155	06	10	03	05	570	600	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	मंडला से रायपुर व्हाया चिल्फी, कवर्धा, बैमेतरा.	177	95	272	06	08	03	04	570	1416	
13	जबलपुर से रायपुर व्हाया मंडला, चिल्फी, कवर्धा.	177	192	369	04	06	04	06	768	1062	
14	शहडोल से जनकपुर व्हाया जयसिंग नगर.	16	81	97	02	02	01	01	162	32	
15	दुर्ग से जबलपुर व्हाया बैमेतरा, कवर्धा, मण्डला.	197	192	389	02	02	02	02	384	394	
16	रायपुर से जबलपुर व्हाया गोंदिया, सिवनी.	136	274	506	02	02	02	02	548	272	महाराष्ट्र 96
17	मलाजखण्ड से दुर्ग व्हाया सालेटेकरी, धमधा.	106	40	146	04	04	02	02	160	424	
18	अम्बिकापुर से बेढ़न व्हाया प्रतापुर, वाड्रफनगर, बलंगी.	152	23	175	04	02	02	01	92	304	
19	रामानुजगंज से बेढ़न व्हाया वाड्रफनगर, बलंगी.	117	23	140	04	02	02	01	92	46	
20	शहडोल से कोटाडोल व्हाया जनकपुर, भगवानपुर.	47	80	127	04	04	02	02	320	188	
21	मोहगांव से दुर्ग व्हाया सालेटेकरी, गण्ई, धमधा.	115	40	155	04	06	02	03	160	690	
22	मनेन्द्रगढ़ से अमरकंटक व्हाया राजनगर, नरवाही, पेंड्रा, केंवची.	10	90	100	04	04	02	02	360	40	
23	भानुप्रताप से बैहर व्हाया दल्ली, बालोद, राजनांदगांव, गण्ई, सालेटेकरी.	210	59	269	06	02	06	02	354	420	
24	दुर्ग से बालाघाट व्हाया धमधा, सालेटेकरी.	120	128	248	06	04	03	02	768	480	
25	दुर्ग से बेहर व्हाया सालेटेकरी, धमधा.	120	55	175	04	02	02	01	220	240	
26	रायपुर से मण्डला व्हाया कुम्हारी, धमधा, सालेटेकरी, बैहर.	131	168	299	04	04	04	04	672	524	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
27	रायपुर से जबलपुर व्हाया कुम्हारी, धमधा, सालेटेकरी, बैहर, मण्डला, निवास, कुण्डम.	131	255	386	02	04	02	04	510	524	
28	पेण्ड्रारोड से अनूपपुर व्हाया अमरकंटक.	70	55	125	06	06	03	03	330	420	
29	पेण्ड्रारोड से चाका व्हाया मरवाही, राजनगर, बिजुरी, कोतमा.	67	53	120	02	02	01	01	106	134	
30	पेण्ड्रारोड से कोतमा व्हाया मरवाही, राजनगर, बिजुरी.	67	38	105	10	06	05	03	380	402	
31	पेण्ड्रारोड से धुरवासीन व्हाया मरवाही, राजनगर, बिजुरी, कोतमा.	67	57	124	04	04	02	02	228	268	
32	पेण्ड्रारोड से केल्हारी व्हाया मरवाही, राजनगर, बिजुरी.	67	54	121	04	04	02	02	216	268	
33	पेण्ड्रारोड से करंजीया व्हाया कैंवची, अमरकंटक.	40	20	60	04	04	04	04	160	160	
34	शहडोल से पेंड्रा व्हाया वैंकटनगर.	26	88	114	02	06	01	03	176	156	
35	शहडोर से पेंड्रारोड व्हाया बुढ़ार, जैतहरी, वैंकटनगर.	20	88	108	02	08	01	04	176	160	
36	शहडोल से मनेन्द्रगढ़ व्हाया बुढ़ार, अनूपपुर, राजनगर, रामनगर.	10	147	157	10	50	05	25	1470	500	
37	पेंड्रारोड से अनूपपुर व्हाया वैंकटनगर, जैतहरी.	26	40	66	06	12	03	06	240	312	
38	जनकपुर से जयसिंग नगर व्हाया बुढ़वा, पंचपेढ़ी.	16	101	117	02	06	01	03	202	96	
39	सीधी से जनकपुर व्हाया चोपाल, मड़वास, हरदी, माड़ीसरायी, देवगढ़.	22	105	127	02	06	01	03	210	132	
40	सीधी से मनेन्द्रगढ़ व्हाया चौपाल, मड़वास, पोंडी, पटेहरा, माड़ीसरई, देवगढ़, जनकपुर, केलहारी, बिजुरी, राजनगर, खोंगापानी, गढ़राखण्ड.	96	191	287	02	06	01	03	382	576	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
41	मनेन्द्रगढ़ से अनूपपुर व्हाया राजनगर, मझवाही, पेंड्रा, वेंकटनगर.	84	40	124	06	02	03	01	240	168	
42	ब्यवहारी से जनकपुर व्हाया, बन्सील	17	58	75	02	06	01	03	116	102	
43	शहडोल से मरवाही व्हाया अनूपपुर, वेंकटनगर, पेंड्रा.	55	88	143	04	06	02	03	352	330	
44	बिलासपुर से मनेन्द्रगढ़ व्हाया कोटा, पेंड्रा, मरवाही, राजनगर.	205	22	227	[illegible]	02	06	02	132	410	
45	पेंड्रारोड से मनेन्द्रगढ़ व्हाया मरवाही, राजनगर.	64	22	86	12	02	06	01	264	128	
46	शहडोल से तिलोखन व्हाया बुढ़ार, अनूपपुर, कोतमा, राजनगर.	38	107	145	02	04	01	02	214	152	
47	फुलसागर से रायपुर व्हाया मंडला, बैहर, मलाजखण्ड, सालेटेकरी.	128	149	277	02	04	01	02	298	512	
48	कंसाघाट से कवर्धा व्हाया बैहर, मवई.	102	128	230	02	04	01	02	256	408	
49	पेण्ड्रारोड से नागपुर व्हाया पेण्ड्रा, कोटमी, दानीकुण्डी, खमरवाड़ी, बरोर, आमाडाड, राजनगर, मनेन्द्रगढ़ एवं वापस.	95	22	117	04	04	02	02	88	360	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रस्तावित नवीन मार्ग.
50	पेण्ड्रारोड से केसवाही व्हाया पेण्ड्रा, कुदरी, कोटमी, दानीकुन्डी, मरवाही, बरटोला, बरोर, आमाडाड, बेलिया, कोतमा, रोमरिया एवं वापस.	64	53	117	04	04	02	02	212	256	
51	लखनघाट से अमरकंटक व्हाया, सिवनी, धनपुर, पेण्ड्रा, पेण्ड्रारोड, केंवची एवं वापस.	86	04	90	04	02	02	01	16	172	—"—
52	पेण्ड्रारोड से कोतमा व्हाया धनपुर, बिजी, मरवाही, आमाडाड, बिजुरी एवं वापस.	64	36	100	04	02	02	01	144	128	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
53	पेण्ड्रा से हरदी व्हाया बैंकटनगर, जयतहरी, अनूपपुर, धनपुरी, बुढार एवं वापस.	30	74	104	02	04	01	02	148	120	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रस्तावित नवीन मार्ग.
54	करगा से पेण्ड्रारोड व्हाया अमरकाड़ा, राजेन्द्रग्राम करमाघाट एवं वापस.	19	67	86	02	04	01	02	134	76	—"—
55	पेण्ड्रारोड से शहडोल व्हाया, सिवनी, जैतहरी अनूपपुर, बुढार एवं वापस.	31	84	115	02	04	01	02	164	124	—"—
56	पेण्ड्रारोड से बेनीबारी व्हाया बैंकटनगर, जैतहरी, अनूपपुर, राजेन्द्रग्राम एवं वापस.	21	111	133	04	04	02	02	444	84	—"—
57	पेण्ड्रारोड से खांटी व्हाया करंगगरा, पोंडकी, अमरकंटक, करंजिया एवं वापस.	19	43	62	02	04	01	02	86	76	—"—
58	परासी से अनूपपुर व्हाया मरवाही, कोतमी, पेण्ड्रारोड, बैंकटनगर, जैतहरी एवं वापस.	76	34	110	02	02	01	01	68	152	—"—
59	पेण्ड्रारोड से कोतमा, व्हाया पेण्ड्रा, सिवनी, चोलना, भालूमाड़ा एवं वापस.	62	38	100	02	02	01	01	76	124	—"—
60	मनेन्द्रगढ़ से निवास व्हाया डगराखाड़, लेदरी, रामनगर, बिजुरी, केल्हारी, जनकपुर, माड़ीसराई, मड़वास एवं वापस.	111	90	201	02	04	02	04	180	444	—"—
61	कोतमा से करंजिया व्हाया भालूमाड़ा, जमुना, चोलना, सिवनी, निमिया, धनपुर, पेण्ड्रा, पेण्ड्रारोड, केंवची, अमरकंटक एवं वापस.	77	60	137	04	04	02	02	240	308	—"—
62	भगवानपुर से बैढ़न व्हाया वाड्रफनगर, बलांगी एवं वापस.	117	23	140	04	04	02	02	92	468	—"—
63	राजनांदगांव से तिरोड़ी रेल्वे स्टेशन व्हाया खैरागढ़ सांजी, बालाघाट, वारासिवनी एवं वापस.	77	160	237	02	04	02	04	320	308	—"—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
64	कोरबा से अनूपपुर व्हाया कटघोरा, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ एवं वापस	180	61	241	04	04	04	04	244	720	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रस्तावित नवीन मार्ग.
65	पेण्ड्रारोड से गोपालपुर व्हाया केंवची, अमरकंटक एवं वापस.	40	50	90	04	04	02	02	200	160	—"—
66	अम्बिकापुर से अनूपपुर व्हाया बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़ एवं वापस.	134	61	215	02	02	01	01	122	268	—"—
67	पेण्ड्रारोड से बजाग व्हाया केंवची, अमरकंटक, करंजिया एवं वापस.	40	60	100	04	04	02	02	240	160	—"—
68	बिलासपुर से अनूपपुर व्हाया कोटा, केंवची, पेण्ड्रारोड, बेंकटनगर एवं वापस.	145	37	182	04	04	02	02	148	580	—"—
69	भरौंडांड़ से पंडोर व्हाया दानीकुंडी, मरवाही, करौर, आमाडांड़, पथारी, भालूमाड़ा, कोतमा, बदरा, जमुना, परासी.	52	30	82	04	0	02	0	120	0	
70	शहडोल से मरवाही व्हाया राजनगर, झिरियाटोला, आमाडांड, बरतराई, जनकपुर.	31	107	138	02	04	01	02	214	124	
71	जैसिंहनगर से कोटाडोल व्हाया कुन्दरी, अगड़ोर, सीधी, जनकपुर.	24	50	74	02	04	01	02	100	96	
72	शहडोल से गोरखपुर व्हाया धनपुरी, राजेन्द्रग्राम लीलाटोला, बेनीबोरी, गाड़ासरई.	19	111	130	02	04	01	02	222	76	
73	मनेन्द्रगढ़ से लीलाटोला व्हाया खोंगापानी, राजनगर, कोतमा, बदरा, पसला, अनूपपुर.	13	111	124	02	04	01	02	222	52	
74	अनूपपुर से गोरेला व्हाया जैतहरी, वेंकटनगर.	20	38	58	02	04	01	02	76	80	
75	दुर्ग से जबलपुर व्हाया धनधा, मलाजखण्ड.	106	262	368	02	02	02	02	524	212	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
76	बैढ़न से वाड्रफनगर	30	35	65	06	10	03	05	390	300	
77	मंडला से पेण्ड्रारोड व्हाया डिण्डोरी, गाड़ासरई गोरखपुर, करंजिया, अमरकंटक, केंवची.	38	184	222	02	02	02	02	368	76	
78	डिण्डोरी से कोरबा व्हाया गाड़ासरई, गोरखपुर अमरकंटक, पेण्ड्रारोड पसान, जड़गा कटघोरा.	178	84	262	02	02	02	02	168	356	
79	डिण्डोरी से बिलासपुर व्हाया गाड़ासरई, गोरखपुर, करंजिया, अमरकंटक, केंवची, करगीरोड.	117	84	201	02	02	02	02	168	234	
80	केशवाही से अमरकंटक व्हाया अनूपपुर, जैतहरी, वैंकटनगर, पेण्ड्रारोड केंवची.	58	82	140	02	02	01	01	164	116	
81	केशवाही से पेण्ड्रारोड व्हाया अनूपपुर, जैतहरी, वैंकटनगर.	20	80	100	02	02	01	01	160	40	

हस्ता./-
(एम. के. राय)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग.

हस्ता./-
(वाय. के. एस. ठाकुर)
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.